प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/7225/2014-पीएमआर

दिनांकः 22/10/2014

Chairman, Railway Board
FTE No. 102880
3/10

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री चरण सिंह यादव से प्राप्त दिनांक 8.10.2014 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 17.10.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गया है।

(सैयद इकराम रिजवी)
निदेशक एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

CPIO/RTI

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
रेल मंत्रालय
रेल भवन, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री चरण सिंह यादव
यादवकुंज, गोसाई बाग
गया - 823 002, बिहार

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

DRS/IC

7225/14 7225-14-2101(14) SPEED Po

प्रपत्र 'क'

(नियम 3 (1) देखें)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

URGENT RTI ACT Diary No. 22609 & Date 17/10/14 Last Date 22/10/14

आई0 डी0 सं0

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी सचिव प्रधान मंत्री

(विभाग/कार्यालय) प्रधान मंत्री कार्यालय नई दिल्ली

1. आवेदक का नाम :– चरण सिंह यादव

2. पूरा पता :– यादवकुंज गोसाईबाग गया – 823002

3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में) :– भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा है। इसके बिना राष्ट्र के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत के प्रत्येक छोटे–बड़े रेलवे स्टेशनों पर अरबों–खरबों रुपये का कबाड़ (स्क्रेप) बिखरा पड़ा है। हमारे रेल मंत्री लोक सभा में रेल बजट पेश करते हुए रुपये के अभाव का रोना रो रहे थे। रेल मंत्रालय ने योजना आयोग से 3.16 लाख करोड़ की माँग की है। योजना आयोग ने 1.96 लाख करोड़ देने का वादा भी किया है। बाकी योजना आयोग ने रेलवे को खुद ही इंतेजाम करने को कहा है। रेल मंत्रालय चाहे तो उस कबाड़ (स्क्रेप) को बेचकर उस रुपये से रेल परियोजनाओं को गति देकर स्टेशनों पर यात्री शेड, शौचालय, पानी और पैदल उपरी पुल पार पथ (ओभर ब्रिज) बनवा सकती है। मैंने रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, सभी महाप्रबंधक (आर. एम.) एवं सभी मंडल प्रबंधकों (डी. आर. एम.)को इस आशय में पत्र प्रेषित किया है। अरबों–खरबों के कबाड़ (स्क्रेप) का रेलवे मंत्रालय क्या? सदोपयोग करने वाला है। कृपया सूचित करें।

M/o Railway

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

5. (1) मैंने 10/– रुपये (शब्दों में) दस रूपया तिथि 4.10.14 को रसीद सं0 11F 641098 से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है। IPO - 11F641098

(2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं0 .... दिनांक .... जो .... पदाधिकारी के पक्ष में .... बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रुप में संलग्न करता हूँ।

(3) मैंने .... रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया है, (संबद्ध कर दिया है।)

(4) मैं गरीबी रेखा के नीचे ...

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

...रेल मंत्रालय ...रेलवे बोर्ड ...रेल भवन, नई दिल्ली (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा) ...सिंह यादव ...ई बाग ...बिहार

15

SPEED Post

प्रपत्र 'क'

(नियम 3 (1) देखें)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई0 डी0 सं0

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,
लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग / कार्यालय) सचिव रेल मंत्री रेल मंत्रालय - नई दिल्ली

1. आवेदक का नाम :– चरण सिंह यादव
2. पूरा पता :– यादव कुंज, गोसाईबाग - गया (बिहार)
3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में) :– भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा है। इसके बिना राष्ट्र के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत के प्रत्येक छोटे–बड़े रेलवे स्टेशनों पर अरबों–खरबों रुपये का कबाड़ (स्क्रेप) बिखरा पड़ा है। हमारे रेल मंत्री लोक सभा में रेल बजट पेश करते हुए रुपये के अभाव का रोना रो रहे थे। रेल मंत्रालय ने योजना आयोग से 3.16 लाख करोड़ की माँग की है। योजना आयोग ने 1.96 लाख करोड़ देने का वादा भी किया है। बाकी योजना आयोग ने रेलवे को खुद ही इंतेजाम करने को कहा है। रेल मंत्रालय चाहे तो उस कबाड़ (स्क्रेप) को बेचकर उस रुपये से रेल परियोजनाओं को गति देकर स्टेशनों पर यात्री शेड, शौचालय, पानी और पैदल ऊपरी पुल पार पथ (ओभर ब्रिज) बनवा सकती है। मैंने रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, सभी महाप्रबंधक (आर. एम.) एवं सभी मंडल प्रबंधकों (डी. आर. एम.) को इस आशय में पत्र प्रेषित किया है। अरबों–खरबों के कबाड़ (स्क्रेप) का रेलवे मंत्रालय क्या? सदुपयोग करने वाला है। कृपया सूचित करें।
4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
5. (1) मैंने 10/- रुपये (शब्दों में) दस रुपये रसीद सं0 10 15F 373353 से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है। तिथि 20.6.13 को

   (2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं0................................दिनांक................................जो ....पदाधिकारी के पक्ष में................................बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रुप में संलग्न करता हूँ।

   (3) मैंने ....रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया है, (संबद्ध कर दिया है।)

   (4) मैं गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

स्थान– गया
तिथि– 28/6/13

आवेदक का हस्ताक्षर चरण सिंह यादव
ई–मेल पता अगर कोई हो:
दूरभाष संख्या (कार्यालय) 8651224344
आवास

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :– चरण सिंह यादव - यादव कुंज गोसाईबाग। गया (बिहार)

नोट :– गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।

28.6.13

1KT

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
रेल मंत्रालय
रेल भवन, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री चरण सिंह यादव
यादवकुंज, गोसाई बाग
गया - 823 002, बिहार

~~Dir~~
DRS/IC

कृपया आप इस संबंध में आ...
प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

Profarma

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 **उच्च प्राथमिकता**

कार्यालय महाप्रबन्धक
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
N.E. RAILWAY
GORAKHPUR - 273 012

दिनांक 8 –10 –2013

सं0 प्र/आर टी आई/पी सी/IV/13/1382

डिप्टी जी एम (जी)
लोक सूचना अधिकारी
महाप्रबन्धक कार्यालय
पूर्व रेलवे
~~[illegible]~~ 17, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता – 700001

विषय:–सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 के उपबंधों के अन्तर्गत
श्री/श्रीमती चरण सिंह यादव द्वारा सूचना की माँग।

1– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदनकर्ता का दिनांक 6-8-13 का आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त हुआ है, और इसे इस कार्यालय में पंजीकृत कर लिया गया है। आवेदन में उल्लिखित मुद्दों और सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रावधानों को देखते हुए अधोहस्ताक्षरी इस निर्णय पर पहुँचा है कि माँगी गयी सूचना आपके विभाग/कार्यालय/प्रशासकीय इकाई से सम्बन्धित है। अतः आवेदन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है, और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के प्रावधानों के अंतर्गत जाँच पड़ताल करने तथा अपेक्षित सूचना मुहैया कराने के लिये आपके पास भेजा जा रहा है। इसके निस्तारण के क्रम में सूचना देने से इन्कार करने अथवा आंशिक सूचना देने की दशा में इसके विस्तृत कारणों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

2– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 7(1) के अधीन विस्तृत उत्तर/सूचना जिसके समर्थन में सत्यापित प्रलेख हो के साथ नियत समय के भीतर सीधे आवेदनकर्ता को भेजना अनिवार्य है।

उपर्युक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखें और इस मामले को उच्च प्राथमिकता देते हुए आवेदनकर्ता को यथाशीघ्र नियमानुसार कार्रवाई कर वांछित सूचना भेजवाने की व्यवस्था करें। आपको यह भी अवगत कराना है कि इस मामले में पुनः कोई अनुस्मारक नहीं दिया जायेगा।

संलग्न–श्री/श्रीमती चरण सिंह यादव के मूल आवेदन की फोटो प्रति।

केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी
मुख्यालय कार्यालय, गोरखपुर।

प्रतिलिपि–श्री चरण सिंह यादव यादव कोर्ट ओ [illegible] रामा / को सूचनार्थ एवं इस मामले में आगे की प्रगति की जानकारी के लिये। 17, नेताजी सुभाष मार्ग

P/O पूर्व रेलवे [illegible] सिंह कोलकाता – 700001 से सम्पर्क करने हेतु प्रेषित। यदि आप दी गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं अथवा आपको यह सूचना समय पर नहीं मुहैया कराई जाती है तो आप .... को 30 दिनों के पश्चात अपील कर सकते हैं।

[signature]
केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी
मुख्यालय कार्यालय, गोरखपुर

मा0उ0प्र

विषय:- श्री चरण सिंह यादव द्वारा मांगी गई जानकारी.
संदर्भ:- मामला सं.आरबी/आरटीआई/2013/010035799 (सीपीआईओ-94).

फाइल सं. आरबी/आरटीआई/2013/010035799 (सीपीआईओ-94).

मद सं.	पार्टी द्वारा मांगी गई सूचना	मंत्रालय का उत्तर	अनुबंध(प्रमाण-पत्र सं. विस्तृत फाइल नोटिंग)
1.	भारत के प्रत्येक छोटे-बड़े रेलवे स्टेशनों पर अरबों-खरबों रुपए का कबाड़ (स्क्रैप) बिखरा पड़ा है अरबों-खरबों के कबाड़ (स्क्रैप) का रेलवे मंत्रालय क्या सदुपयोग करने वाला है, कृपया सूचित करें.	रेलपथों के साथ-साथ पड़ी सभी पटरियों तथा रेलपथों से संबंधित सामग्री को कबाड़ (स्क्रैप) नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नई सामग्री हो सकती है और कुछ पुरानी, परन्तु दुबारा प्रयोग की जा सकने वाली रेल पटरियां तथा रेलपथ सामग्री.जो नई रेल लाइन बिछाने, सीटीआर कार्यों और अन्य अनुरक्षण कार्यों आदि के लिए रिजर्व रखी जाती है. स्क्रैप सामग्री का उत्पन्न होना या इकट्ठा होना, उनके बारे में ऑफर प्राप्त होना और उनका निपटान करना एक सतत प्रक्रिया है और ज्योंही किसी चिन्हित स्क्रैप सामग्रियों के बारे में संबंधित संरक्षकों द्वारा प्रस्ताव भेजे जाते हैं, भंडार विभाग द्वारा प्रस्ताव के अनुसार स्क्रैप सामग्रियों के निपटान की दिशा में तत्काल कार्रवाई शुरू की जाती है. इससे प्राप्त राजस्व का रेल कार्यों में उपयोग किया जाता है. क्षेत्रीय रेल से संबंधित सूचना के लिए, विशिष्ट जानकारी का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय रेलों के संबंधित सीपीआईओ से सूचना मांगी जा सकती है चूंकि रेलवे बोर्ड इन रिकॉर्डों को नहीं रखती है.	कुछ नहीं

26/7/13
एपीआईओ एवं उपनिदेशक, रेल भंडार (एस) II
रेलवे बोर्ड.

मिशन

साफ सफाई

जलते हुए दीपक से एक सबक तो लेना होगा।
गया शहर की साफ सफाई के लिए किसी को तो जलना होगा।।

प्रिय बन्धुओं,

गया शहर गन्दगी के ढेर में बदलता जा रहा है, भगवान विष्णु और महात्मा बुद्ध की नगरी आज अशान्त है। आप कानून को मानने वाले एक अच्छे शहरी है। आपका मन बहुत ही साफ और सुन्दर है। फिर आपके घर और दूकान के बाहर गन्दगी क्यों? आपका शहर और मोहल्ला गन्दा क्यों? हम समाज के सभी वर्गों समाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, ट्रेड यूनियनों, दुकानदार संघ, ठेकेदार और वकील भाईयों से सीधी और सरल भाषा में कुछ बातें कहना चाहते हैं।

कृपया मानवता के नाम पर गया शहर को साफ और सुन्दर बनाने के नाम पर एकजुट होकर आप हमें अपना नैतिक और सक्रिय सहयोग दें और गया शहर से धूल, गंदगी, कूड़ा–करकट को हमेशा के लिए समाप्त करें। अगर आप हमारे द्वारा सुझाए गये उपायों का पालन करेंगे तो आप धूल, गंदगी और कूड़ा–करकट से हमेशा के लिए छुटकारा पा जायेंगे।

दुकानदार होटल तथा व्यवसायिक भाईयों से

आप अपन स्तर से नाली को गहराई तक पूरा साफ करवा लें। नाली और सड़क की बीच की दूरी को पक्का करवा ले। जिसका खर्च मात्र 8 रूपया प्रति वर्ग फिट आयेगा, जिसे आप आराम से वहन कर सकते हैं। आप अपनी दूकान तथा घरों में बांस के लम्बे डंटे में लगी झाड़ू तथा प्लास्टिक की टोकरी रखें। शर्म और झिझक को छोड़ें। खुद अपने घर और दूकान के आगे गंदगी या कूड़ा साफ करके कूड़ेदान में फेंके या निर्धारित स्थान पर फेंके। साफ–सफाई के प्रति हमेशा जागरूक रहें। बहुत से बन्धु अपने घर या दूकान के आगे साफ करके बीच रोड में फेंक देते हैं क्या यह उचित है? अपने मुहल्ले में पड़ोसियों से साफ सफाई के बारे में चर्चा करें और उन्हें जागरूक बनायें। कृपया बरसात शुरू होने से पहले नाली को साफ करवाके आगे के स्थान को पक्का करवा लें। अपनी दुकान को सुन्दर और सजाकर रखें जिससे कि पर्यटक आकर्षित हो।

आम जनता तथा खासकर महिलाओं, छात्राओं और छात्रों से

आप कृपया अपने घर का कूड़ा उपर छत से न फेंकें। आप अपने घर के नौकरों या दाईयों को समझायें कि कूड़ा कूड़ेदान मे या निर्धारित स्थान पर फेंके। पोलिथीन किसी कीमत पर नाली में नहीं फेंके। इससे पानी का बहाव रूकता है और नाली जाम होकर पानी सड़कों पर फैल जाता है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी होती है। पोलिथीन का कम से कम व्यवहार करें। आप याद रखें प्लास्टिक की बनी चीज सैकड़ों साल तक न गलती है और न सड़ती है। इससे प्रदूषण फैलता है तथा पर्यावरण पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, आपके मुहल्ले में जब भी कोई सरकारी निर्माण कार्य चल रहा हो तो सब मिलकर अपनी देख–रेख में निर्माण कार्य करवायें तथा संबंधित ठेकेदार को अपने शहर के प्रति प्यार और कर्त्तव्य की याद दिलायें। अगर आप गली में रहते हैं तो अपने सम्मिलित प्रयास से ईंट का सोलिंग करवा लें।

केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस।
जागृत जनता के केन्दों से होगा अमर समाज।।

।। साफ सफाई हमारा नारा, सहयोग आपका प्रयत्न हमारा ।।

P.T.O.

1.4.2001